रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 25—जुलाई 1, 2017, शनिवार/आषाढ 4—आषाढ 10, 1939

No. 21] NEW DELHI, JUNE 25—JULY 1, 2017, SATURDAY/ ASADHA 4—ASADHA 10, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2017

का.नि.आ. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 के नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" दोनों स्थानों पर जहां ये शब्द आते हैं "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।

(क) स्तंभ (4) में,

(i) शीर्षक के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शीर्षक रखा जाएगा;

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35400 – 112400 रुपए" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(b) in column (11),—

(i) in item (a), for sub-items (ii) and (iii), the following entries shall be substituted namely:—

(ii) "minimum six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 5 in Pay Matrix of Rs 29200 – Rs 92300 or equivalent in the parent cadre or department, or

(iii) ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 4 in Pay Matrix of Rs 25500-Rs 81100 or equivalent in the parent cadre or department; and"

(c) for the existing entries under the Note-2, the following entries shall be substituted, namely:—

"**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay and where this benefit will extend only for the post(s) for which pay scale is the normal replacement grade without any upgradation."

[F. No. 48014/1/2010-D(Est.I/Gp.I)]

PARVEEN DUDEJA, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide notification number S.R.O No. 28 dated the 18th May, 2013, in the Gazette of India, Part-II, Section-4.

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

का.नि.आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन (समूह 'क' पद) तकनिकी अधिकारी भर्ती नियम, 2007 तथा तटरक्षक संगठन समूह 'ख' और समूह 'ग' तकनिकी पर्यवेक्षण पद भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में तकनिकी अधिकारी , फोरमैन और चार्जमैन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक संगठन (समूह 'क' और 'ख') तकनीकी पर्यवेक्षण संवर्ग भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (i) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. तकनीकी अधिकारी	6* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10 (56100 रु. से 177500 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और सशस्त्र बल कार्मिक पुनः नियोजित के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ सशस्त्र बल कार्मिक के पुनः नियोजन ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति : — स्तर-7, 44900 रु. से 142400 रु. में ऐसा फोरमैन तकनीकी जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति : —केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टरों उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी —

(क) (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों ; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-8, 47600 रु. से 151100 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-7, 44900 रु. से 142400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; या

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों :—

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिकी या विद्युत या सामुद्रिक या दूरसंचार या औद्यौगिक इंजीनियरी या उत्पादन इंजीनियरी या वास्तुकला में डिप्लोमा रखता हो;

(ii) पोत मरम्मत या इलेक्ट्रिक में साधारण इंजीनियरी और / या इलेक्ट्रानिक या समुद्री व्यापार में तीन वर्ष अनुभव रखता हो ।

भूतपूर्व सैनिक : प्रतिनियुक्ति या पुनः नियोजन--

सेना, नौ सेना या वायु सेना की समुचित तकनीकी शाखा में मास्टर चीफ पेटी आफीसर की पंक्ति धारण करने वाले ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों के, जिनके पास उपर्युक्त उपदर्शित के अनुसार रखते हों और जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थांतरित किए जाने वाले हैं, के संबंध में भी विचार किया जाएगा । ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा तत्पश्चात् पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ; तत्पश्चात वह पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई एस टी सी), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : -- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :--** 1. उप महा निदेशक - अध्यक्ष 2. निदेशक (सामग्री) - सदस्य 3. उप सचिव / निदेशक, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. फोरमैन (तकनीकी)	14* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44900 रु. से 142400 रु.)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा 20 प्रतिशत जिसके ना हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : —केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी — (क) (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों ; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-5, 29200 रु. से 92300 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-4, 25500 रु. से 81100 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथाविदित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । **टिप्पण :** (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति :-- 1. तटरक्षक मुख्यालय के निदेशक (कार्मिक) - अध्यक्ष 2. तटरक्षक मुख्यालय के संयुक्त निदेशक या सहायक निदेशक (सामग्री) - सदस्य 3. तटरक्षक मुख्यालय के उप निदेशक या सहायक निदेशक (प्रशासन) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. सीपी/0601/तक.पर्य. संवर्ग/ 474/डी (सीजी)/2017]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd June, 2017

S.R.O. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organization (Group 'A' Post) Technical Officer Recruitment Rules, 2007 and Coast Guard Organization Group "B" and Group "C" Technical Supervisory Posts Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer, Foreman (Technical) and Chargeman in Coast Guard Organization under the Ministry of Defence namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as Coast Guard Organization (Group "A" and Group "B" posts) Technical Supervisory Cadre Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and the Level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, and qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Technical Officer	6*(2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100 to Rs. 177500)	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees and Armed Forces Personnel Re-employed	By promotion failing which by deputation (including short term contract)/ Re-employment of Armed Forces personnel

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Foreman (Technical) in Level-7, Rs. 44900 to Rs. 142400 with three years regular service in the grade. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (ISTC):** Officers under the Central or State Governments or Unions Territories or Public Sector Undertaking or Recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organization; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8, Rs. 47600 to Rs. 151100 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7, Rs. 44900 to Rs. 142400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications : (i) Diploma in Mechanical or Electrical or Marine Engineering or Telecommunication or Industrial Engineering or Production Engineering or Naval Architecture from a recognised University or Institution. (ii) Three years experience in the field of Hull repair or General Engineering or	**Group 'A' Departmental Promotion Committee:—** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Director General, Coast Guard Headquarters - Member 3. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Member **Group 'A' Departmental confirmation Committee:—** 1. Deputy Director General, Coast Guard -Chairman 2. Director (Materiel), - Member 3. Deputy Secretary/Director, MoD - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

both or in Electrical or Electronics or Marine Trade. **For Ex-Servicemen: Deputation or re-employment:-** Armed Forces Personnel of the rank of Master Chief Petty Officer or equivalent in the appropriate Technical branch of the Army, Navy or Air Force and possessing Educational Qualification as indicated above and is due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be appointed to the post on re-employment basis. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Foreman (Technical)	14*(2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 (Rs. 44900 to Rs. 142400)	Selection